5 Rs COURT भारत पाँच रुपये

5 Rs COURT 1996 Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

91
25-9-17

S.AR

388R27
2013-14

आदेश फलक

[देखें अभिलेख फलक 1941 का नियम (129)]

आदेश पत्र की तारीख   से   तक

जिला   वाद संख्या

वाद का प्रकार

आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी एवं तिथि
07/8/17	श्री/श्रीमती सीमा प्रजापति पिता/पति श्री विश्वेश्वर महतो ग्राम चेटर पो0 थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नलिखित भूमि का दाखिल खारिज अपने नाम पर करने हेतु अनुरोध किया है। **जमीन का विवरण** मौजा: चेटर — खाता: 11 — प्लॉट: 465 — रकबा: 6-10 हल्का कर्मचारी, अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दें। आम इस्तहार निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 22/8/17 को उपस्थापित करें। 25-9-17 प्रधान सहायक अंचल कार्यालय, गुमला 07/8/13 अंचल अधिकारी गुमला, सदर सीमा प्रजापति	

कार्यालय अंचल अधिकारी गुमला

२४४/13

अभिलेख ... प्राप्त। हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। आवेदित भूमि सर्वे खतियान मे रत्ता पुजार वल्द छोटीया पुजार कौम उराँव साकिन देह .... के नाम से दर्ज है। पंजी।। में ....

.... के नाम पर वर्त्तमान में मॉंच चला रहा है। क्रेता ने परमीशन वाद संख्या .... दिनांक .... एवं रजिस्ट्री पट्टा संख्या .... दिनांक .... द्वारा मो0 .... रूपया में क्रय किया है। आम सूचना निर्गत किया गया कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। क्रेता का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। यह भूमि भूदान, भू हदबन्दी वन सीमा, गैर0 आम / खास आदि से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने आवेदक के नाम नामान्तरण हेतु अनुशंसा किया है। ग्राम चेटर ....

थाना – गुमला, जिला – गुमला के निम्नलिखित भूमि :–

खाता	प्लॉट	रकबा	माल अलावे से
11	465	0-10	0-20

का दाखिल खारिज श्रीमती सीमा प्रजापति ....
पिता / पति श्री शिवट महतो .... ग्राम चेटर ....
थाना गुमला .... जिला गुमला .... के नाम पर .... किया जाता है।

तदनुसार शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति –

अंचल अधिकारी, गुमला

अंचल अधिकारी
गुमला

शुद्धि पत्र चार प्रति में हस्ताक्षरित। एक प्रति आवेदक को दें। राजस्व पंजी में आवश्यक सुधार हेतु दो प्रति हल्का कर्मचारी को निर्गत करे। सुधार के पश्चात् एक प्रति वापस माँगें। तथा पंजी VII में दर्ज करे।

[signature] 9/17
प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय, गुमला

सीमा प्रजापति

अंचल अधिकारी, गुमला

पच्चीस पैसे INDIA COPY STAMP पच्चीस पैसे

२५ पैसे सत्यमेव जयते भारत 25P.

TWENTYFIVE PAISE

प्रतिलिपि के लिए आवेदन की तारीख Date of application for the copy.	स्टाम्प और फोलिओ की अपेक्षित संख्या सूचित करने की निश्चित तारीख Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios.	अपेक्षित स्टाम्प और फोलिओ देने की तारीख Date of delivery of the requisite stamps and folios.	तारीख, जबकि देने के लिए प्रतिलिपि तैयार थी Date on which the copy was ready for delivery.	आवेदक को प्रतिलिपि देने की तारीख Date of making over the copy to the applicant.
5-10-17	15-10-17	25-10-17	25-10-17	25-10-17

आवेदन - 5.00
फोलियो - 2.00
स्टाम्प - 40.00

कुल - 47.00
(सैंतालिस रु० मात्र)

कार्यालय अंचल अधिकारी गुमला

25-10-17

प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय, गुमला

सीमा प्रजापति

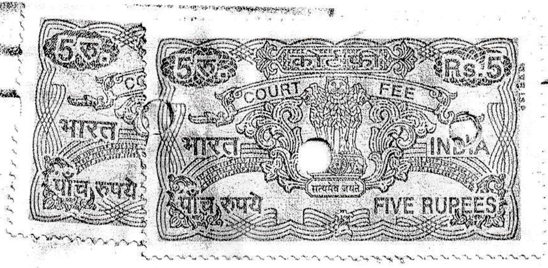

कार्यालय अंचल अधिकारी, गुमला सदर।

कार्यालय आदेश दाखिल खारिज वाद सं० 388 R27/13-14

एस0ए0आर0 वाद सं0 :- 110/2011

न्यायालय अपर समाहर्ता, गुमला .... के एस0 ए0 आर0 वाद सं0 110/2011 .... में श्री रतवा पुजार .... पिता / प्रति श्री झरिया पुजार .... बनाम श्रीमति सीमा प्रजापति ...., प्रिता / पति विश्वेश्वर महतो .... ने मौजा पेरर ...., खाता सं0 11 प्लाट 465 रकबा 0.10 .... भूमि का पंजी (II) रैयत के वंशज रतवा पुजार .... को क्षतिपूर्ति की राशि 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) देकर श्रीमति सीमा प्रजापति पति विश्वेश्वर महतो .... पिता / पति के नाम से विनियमित किया गया है।

उक्त वाद के आलोक में श्रीमति सीमा प्रजापति .... पिता / पति विश्वेश्वर महतो ग्राम पेरर ...., थाना – गुमला, जिला – गुमला विनियमित करने का आदेश दिया जाता है।

अंचल अधिकारी, 2/12/13
गुमला।

ज्ञापांक :- 1063 .... /रा0, दिनांक :- 6/12/13 ....

प्रतिलिपि :- श्री जालेश्वर साह .... राजस्व कर्मचारी हल्का संख्या VI .... को अनुपालनार्थ प्रेषित।

कार्यालय अंचल अधिकारी गुमला

प्रधान सहायक
अंचल कार्यालय, गुमला

अंचल अधिकारी, 6/12/13
गुमला।

सीमा प्रजापति

दाखिल खारिज जाँच प्रतिवेदन

हल्का संख्या :- VI

मौजा :- चेटर थाना संख्या :- 47 थाना :- गुमला जिला :- गुमला

क्रेता का नाम :- सीमा प्रजापति पति विशेश्वर महतो

विक्रेता का नाम :- नारायण उराँव कौम-

किस्म बसिका :- S.A.R. अपील वाद सं० 110/2011 दस्तावेज का संख्या–

दिनांक–

बिक्री भूमि का रकबा :- 0-10 1/2 मोबलीक :--

वाद संख्या :-

(1) खतियानी रैयत	खाता	प्लॉट	रकबा	लगान	अभ्युक्ति
एतवा पुजार वल्द दोदीया पुजार कौम उराँव साकिनदेह	11	465	1-22	4-12-6	1. विक्रेता का पंजी रैयत से संबंध :- S.A.R. अपीलवाद सं० 110/2011 2. आवेदित भूमि गैरमजरुआ खास है या नहीं :- 3. आवेदित भूमि गैरमजरुआ आम है या नहीं :-
(2) दा० खा० के पहले की जमाबन्दी					
"तदैव"	11	465 तथा अन्य plot	1-06 4-66 1/2 5-72 1/2	3-43	4. आवेदित भूमि भूदान की भूमि है या नहीं :- 5. आवेदित भूमि भूहबन्दी के अन्तर्गत आती है या नहीं :- 6. आवेदित भूमि कैसरे हिन्द की भूमि है या नहीं :- 7. आवेदित भूमि खास महल की भूमि है या नहीं :- 8. आवेदित भूमि वन सीमा के अन्तर्गत आता है या नहीं :- (2–8: नहीं)
(3) दा० खा० के बाद की जमाबन्दी					
"तदैव"	11	465 तथा अन्य plot	0-96 4-66 1/2 5-62 1/2	3-23	9. क्रेता का प्रस्तावित भूमि में दखल कब्जा है या नहीं :- है 10. विक्रेता की वंशावली :-
(4) नई जमाबन्दी जिसका दा० खा० किया जायेगा					11. अनुमति वाद सं० :-
सीमा प्रजापति पति विशेश्वर महतो मौजा [illegible]	11	465	0-10	0-20	12. मंतव्य :- विषयगत भूमि आवेदिका को S.A.R. अपील वाद सं० 110/2011 के द्वारा विनियमित किया गया है। उक्त भूमि पर आवेदिका दखलकार है। अतएव उक्त आदेश के आलोक में नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है।

प्र० का० गुमला

[illegible] S.A.R. वाद संख्या 110/2011 के पारित आदेश के अनुपालन में [illegible] स्वीकृत

कर्मचारी 20-6-13

25-9-13

अंचल सहायक
कार्यालय, गुमला

कार्यालय अंचल अधिकारी गुमला

सीमा प्रजापति

कार्यालय अंचल अधिकारी, गुमला सदर।

दा० खा० वाद सं० 388 R27/13-14

कार्यालय आदेश

एस0ए0आर0 वाद सं0 :– 110/2011

न्यायालय अपर समाहर्त्ता गुमला के एस0 ए0 आर0 वाद सं0 110/2011 में श्री रतपर पुजार पिता / पति श्री ढोढ़िया पुजार बनाम श्रीमति सीमा प्रजापति, पिता / पति विशेश्वर महतो ने मौजा पेरर, खाता सं0 11 प्लाट 465 रकबा 0.10 भूमि का पंजी (II) रैयत के वंशज रतपर पुजार को क्षतिपूर्ति की राशि 3,80,000/ (तीन लाख अस्सी हजार) देकर श्रीमति सीमा प्रजापति पति विशेश्वर महतो ~~पिता / पति~~ के नाम से विनियमित किया गया है।

उक्त वाद के आलोक में श्रीमति सीमा प्रजापति ~~पिता~~ / पति विशेश्वर महतो ग्राम पेरर, थाना – गुमला, जिला – गुमला विनियमित करने का आदेश दिया जाता है।

52 VIII

अंचल अधिकारी,
22/8/13
गुमला।

ज्ञापांक :– 1063 /रा0, दिनांक :– 6/12/13

प्रतिलिपि :– श्री जलेश्वर साह राजस्व कर्मचारी हल्का संख्या VI को अनुपालनार्थ प्रेषित।

अंचल अधिकारी,
22/8/13
गुमला।

D:\Mary\Formet.doc108

सीमा प्रजापति

-7-

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गुमला

एस0 ए0आर0 अपील वाद संख्या – 110 / 2011

सीमा प्रजापति –अपीलार्थी

बनाम

नारायण उरॉव वगैरह –उत्तरवादी

आ दे श

यह अपील वाद सीमा प्रजापति पति –विशेश्वर महतो ग्राम–कुटवां वर्त्तमान पता--ग्राम–चेटर थाना–गुमला जिला–गुमला ने भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गुमला के एस0 ए0 आर0 वाद संख्या–03 / 2010–11 में दिनांक 3.1.11 में पारित आदेश के विरूद्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय अपील दायर किया गया है। तदनुसार अपीलाथी के आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उत्तरवादी को सूचित किया गया तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया।

सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि गौजा चेटर थाना नं0–47 के खाता नं0 11 प्लौट नं0 465 रकबा 0.10 ए0 भूमि खतियानी रैयत बंधना उरॉव वल्द एतवा उरॉव ग्राम चेटर थाना गुमला से अपीलकर्त्ता के पिता वर्ष 1966 में हासिल किया है तब से वे मकान बनाकर दखलकार है,यह कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नागत भूमि पर एसवेस्टस का कमरा तैयार करने की स्थिति में उत्तावादी द्वारा आपत्ति प्रकट किया गया । आप्पति के कम में दिनांक 15.06.2008 को दोनों पक्षों के बीच लिखित रूप से एक एकरारनामा हुआ जिसमें प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी मकान बनाकर रहेंगें। जिसके एवज में उत्तरवादीगण एक लाख रूपये भी दिये। प्रश्नगत भूमि के बावत भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,गुमला द्वारा पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादीगण के नाम से दो लाख रूप्ये का बैक ड्राफट भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,के न्यायालय में समर्पित किया जिसमें भूमि सुधार उप--समाहर्त्ता,द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि से कम का बैंक ड्राफट होने एवं आदेश की तिथि से देर होने के कारण जमीन उत्त्रवादीगण को वापस किया गया उनके द्वारा बताया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपुर्ति राशि 3,80,000.00 (तीन लाख अस्सी हजार)के आलोक में उत्तरवादीगण को 2,05,000.00 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष राशि अपीलार्थी उत्तरवादी को देने के लिए तैयार है।

उत्तरवादी के विद्य अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है जिसका साविक खाता एतवा पुजार वल्द होटीया पुजार के नाम से दर्ज है, ।उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादीगण का ही दखल कब्जा रहा है,तथा अपीलार्थी प्रारभ्म में उत्त्रवादीगण द्वारा बनाये गये मकान पर किरायेदार के हैसियत से चले आ रहे थे,परन्तु बाद में एक फर्जी कागज के आधार पर कब्जा प्राप्त करने एवं जमीन पर जबरन हक साबित करने का प्रयास किया उसी के आलोक में भूमि सुघार–उप समाहर्त्ता,के यहाँ एस.ए.आर वाद दायर किया। जिसका वाद संख्या 3 / 10–11 पड़ा। यह कि भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,गुमला के न्यायालय में जमीन वापसी हेतु दायर किये जाने के पश्चात अपीलकर्त्ता द्वारा विपक्षीगण से मिलकर सुलह की बात कही गई।,तथा उभय पक्षों के बीच पुराना संबंघ है,इसलिए जमीन का क्षतिपुर्ति राशि जो सरकार द्वारा निर्धारित है अपीलकर्त्ता द्वारा देने के लिए तैयार है। यह कि अपीलकर्त्ता द्वारा बताये गये उनके झुठे परेशानियों को सुनकर उपरोक्त वाद को विपक्षीगण सुलह करने को तैयार हो गये जिस पर अपीलकर्त्ता विपक्षीगण को आदिवासी जानकर न्यायालय के स्टाम्प पेपेर पर जमीन संबंघी शर्तो को लिखा लिया। उनका यह भी कहना है कि विपक्षीगण से स्टाम्प पेपर में अपीलकर्त्ता द्वारा हस्ताक्षर लेने के बाद लम्बे–लम्बे समय पर भुगतान किया जाने लगा तथा उत्तरवादीगण द्वारा एक मुश्त पैसे की मॉग किये जाने पर टाल–मटोल किया जाने लगा,तथा बाद में दशाये गये भुगतान के बाद पैसा देना बन्द कर दिया गया। उनका यह भी कहना है कि भूमि सुघार उप–समाहर्त्ता,गुमला द्वारा पारित आदेश बिलकुल सही है इस लिए उनके आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्य अधिवक्ताओं को सुनने तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उत्तरवादी के पूवर्जो ने अपीलार्थी के पिता को वर्ष 1966 ई0 में ही जमीन दे दिया था निम्न न्यायालय द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि आवेदकगण भूमि की वापसी नहीं चाहकर भूमि की उचित क्षतिपुर्ति राशि चाहते है। अंचल अधिकारी द्वारा भी अपने

सीमा प्रजापति

-9-

जॉच प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी के पिता द्वारा वर्ष 1968 ई0 में कच्चा मकान बनाये गया है,जिसे तोड़कर वर्तमान में एसवेस्टस का मकान बनाया गया है,जिसका अनुमानित लागत 60.000.00 रूपये हो सकता है। अंचल अधिकारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उत्तरवादी के पुर्वज बंघना उरॉव सादा बिकीनामा द्वारा प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पिता को ब्रिकी किया था । वर्तमान में प्रश्नगत भूमि में अपीलार्थी का दखल कब्जा है। निम्न न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 15.06.10 के पारित आदेश के अनुपालन में अपीलार्थी द्वारा निहित भूमि की मुआवजा राशि का Bank Draft प्रस्तुत नहीं करने के कारण उत्तरवादी को भूमि वापस कर दिया गया है।चूंकि प्रश्नगत भूमि को उत्तरवादीगण के पूर्वज सादा बिकी नाम द्वारा 04.04.1966 को अपीलार्थी के पिता को दे दिया गया था तब से अपीलार्थी उक्त भूमि पर मकान–सहन बनाकर रहते आ रहें है,वर्त्तमान में प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी का दखल कब्जा है तथा उभय पक्ष निम्न न्यायालय में एक एकरारनामा भी किये है इससे स्पष्ट होता है कि उत्तरवादी राजी खुशी से अपीलार्थी को क्षतिपुर्ति राशि लेकर वाद का निष्पादन कराना चाहते है। ऐसी परिथिति में प्रश्नगत भूमि मौजा चेटर के खाता सं 11 प्लाट नं0 465 रकवा 0.10 एकड़ भूमि का निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 15.06.10 में पारित आदेश के आलोक में निर्घारित मुआवजा राशि 3,80,000.00 (तीन लाख अस्सी हजार) रूपये अपीलार्थी द्वारा नारायण उरांव वो संजय उरांव के नाम से जो इस वाद में उत्तरवादी हैं, इनके नाम से एक माह के अन्दर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से न्यायालय के समक्ष जमा करें। निर्घारित अवधि तक अपीलार्थी द्वारा Bank Draft जमा नही करने पर भूमि उत्त्रवादी को वापस कर दी जाएगी।

लेखापित एवं संशोधित

अपर समाहर्त्ता,
गुमला

अपर समाहर्त्ता,
गुमला

10/6/13
20/6/13

अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादीगण के नाम 3,80,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) रुपये का Bank draft जमा किया गया है। Bank draft प्राप्त करने हेतु उत्तरवादी को सूचित करें।

अपर समाहर्त्ता
गुमला

4/7/13

अभिलेख भार उपस्थापित। अपीलार्थी सीमा प्रजापति द्वारा उत्तरवादीगण के नाम से Bank draft सं0 665574251 दिनांक 10/6/13 द्वारा मो0 380,000/- (तीन लाख अस्सी हजार) का Bank draft जमा किया है। अपीलार्थी

सीमा प्रजापति

Sanjay Oraon and Narayan Oraon in my presence ... received a Draft of Rs 3,80,000/- Draft No 665574251 dt 10/6/13

प्रार्थी उत्तराधिकारी के नाम जारी
किये गये Bank draft का
भुगतान हेतु अनुरोध किया है।
उत्तराधिकारी नागमणी उरांव पिता स्व. उरांव
ग्राम पोस्ट थाना गुमला
जिला गुमला के नाम भविष्य निधि
राशि का संबंधित Bank draft
उत्तराधिकारी के बिना आवश्यकता के
उचित पहचान पर निर्गत
करें।

ह०
अपर समाहर्ता
गुमला

लाभार्थी द्वारा जमा Bank draft
उत्तराधिकारी नाग? को उचित बिना
आवश्यकता के पहचान पर निर्गत
कर दिया जाता है। तदनुसार
इस वाद में निहित राशि को
लाभार्थी के नाम विनियमित
करने का आदेश दिया जाता है।
निम्न लेख का अभिलेख
नाजिर को प्रति के साथ
वापस करें।

ह०
अपर समाहर्ता
गुमला

अभिलिपि कर्ता
तुलना कर्ता
अभिलिपिक
तुलना लिपिक
CERTIFIED TO BE TRUE COPY
Date .... Record Keeper
Authorised under Section 76 Act 1 of 1872 District Record Room GUMLA